<u>कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर</u>

क्रमांक: शिविरा--माध्य / मा.द. / गुण.प्र. / परीक्षा / 61196 / 2021–22 दिनांक: 11.02.2022

::संशोधन आदेश::

इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक 11.02.2022 द्वारा सत्र 2021–22 परीक्षा हेतु कक्षा–12 के प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में सत्रांक निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के बिंदु संख्या–4 में निम्नांकित विवरणानुसार आंशिक संशोधन जारी किया जाता है:–

<u>**बिन्दु संख्या– 4(i)**</u> – संगीत व चित्रकला प्रायोगिक विषय में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक – 20 + 20 + 14 + 12 = 66, इन दोनों विषयों में पूर्णांक 66 के अनुसार प्राप्तांकों के 30% अधिभार के अनुरूप 20% सत्रांक प्रेषित किए जाएंगे।

<u>**बिन्दु संख्या– 4(ii)**</u> – संगीत व चित्रकला के अलावा अन्य प्रायोगिक विषयों में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक– 20 + 20 + 34 + 12 = 86, उक्त विषयों में पूर्णांक 86 के अनुसार प्राप्तांकों के 70% अधिभार के अनुरूप 20% सत्रांक प्रेषित किए जाएंगे।

शेष निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

Rajasthan Education Department

(अरूण कुमार शर्मा)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षामंत्री (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक),संस्कृत शिक्षा,कला साहित्य,संस्कृति तथा ए.एस.आई राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को उनके पत्र के क्रम में अनुमोदन किया जाता है।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
11. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा ।
14. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
15. मैनेजर, गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
18. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा.द. / गुण.प्र. / परीक्षा / 61196 / 2021–22 दिनांक : 11.02.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।

विषय– सत्र 2021–22 परीक्षा हेतु कक्षा 12 के प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में सत्रांक निर्धारण संबंध में।

प्रसंग– इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांक : 20.11.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कक्षा 12 प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में बोर्ड परीक्षा 2022 हेतु सत्रांक निर्धारण के प्रावधान निम्नानुसार रहेंगे:–

1. बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20% अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं, जैसे बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100, 70, 50 या 30 पूर्णांक सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक 20, 14, 10 या 6 निर्धारित रहेंगे।

   जिसके अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय द्वारा ली गई प्रथम परख (20 अंक), द्वितीय परख (20 अंक) व अर्द्धवार्षिक परीक्षा (60 अंक) के योग के 20% अंक होंगे।

2. ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रयोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है उन विषयों में सत्रांक केवल लिखित परीक्षा के पूर्णांकों के 20% होंगे। उदाहरण के लिए:–

   (i) कक्षा 12 संगीत व चित्रकला के अतिरिक्त प्रायोगिक विषय में बोर्ड परीक्षा 2022 के जिन विषयों में कुल अंक 100 का होना है उनमें से सैद्धान्तिक 70 अंक तथा प्रायोगिक 30 अंक की ली जानी है। इन 70 अंक सैद्धान्तिक में से 20% कुल 14 अंक सत्रांक के लिए निर्धारित हैं।

   (ii) संगीत व चित्रकला के कुल अंक 100 में से सैद्धान्तिक 30 अंक तथा प्रायोगिक 70 अंक की ली जानी है तो इन 30 अंक सैद्धान्तिक में से 20% कुल 06 अंक सत्रांक के लिए निर्धारित हैं।

3. जिन विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रयोगिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाता हैं उन विषयों के सत्रांक निर्धारण में <u>अर्द्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किए जाने</u> है।

   उदाहरण के लिए:–

   (i) कक्षा 12 संगीत व चित्रकला के अतिरिक्त प्रायोगिक विषय में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के निर्धारित किये गये 60 अंकों में से सैद्धान्तिक 34 अंक, प्रायोगिक 14 अंक तथा 12 अंक वर्कशीट पोर्टफोलियो + क्विज आधारित हैं। सत्रांक निर्धारण के समय अर्द्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा (14 अंक) में विद्यार्थी के प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किए जाने है।

   (ii) कक्षा 12 संगीत व चित्रकला प्रायोगिक विषय में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के निर्धारित किये गये 60 अंकों में से प्रायोगिक 34 अंक, सैद्धान्तिक 14 अंक तथा 12 अंक वर्कशीट पोर्टफोलियो + क्विज आधारित हैं। सत्रांक निर्धारण के समय अर्द्धवार्षिक परीक्षा में

आयोजित प्रायोगिक परीक्षा (34 अंक) में विद्यार्थी के प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किए जाने है।

4. उपर्युक्त प्रदत्त विवरण के अनुरूप उच्च माध्यमिक (कक्षा 1–12) स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषय समूह के अनुसार निम्नानुसार सत्रांक प्रेषण की सुनिश्चितता करेंगे:–

(i) संगीत व चित्रकला प्रायोगिक विषय में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक – 20 + 20 + 14 + 12 = 66 इन दोनों विषयों में पूर्णांक 66 के अनुसार प्राप्तांकों के 70% अधिभार के अनुरूप 20% सत्रांक प्रेषित किए जाएंगे।

(ii) संगीत व चित्रकला के अलावा अन्य प्रायोगिक विषयों में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक– 20 + 20 + 34 + 12 = 86 उक्त विषयों में पूर्णांक 86 के अनुसार प्राप्तांकों के 30% अधिभार के अनुरूप 20% सत्रांक प्रेषित किए जाएंगे।

(iii) शेष अन्य विषयों में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक– 20 + 20 + 48 + 12 = 100 उक्त समस्त विषयों में पूर्णांक 100 के अनुसार ही प्राप्तांकों के 20% सत्रांक प्रेषित किए जाएंगे।

वर्तमान सत्र में नवीन अंक योजनानुसार सत्रांक निर्धारण के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना निर्धारित समयावधि में करवाए जाने की सुनिश्चितता की जावे।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षामंत्री (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक),संस्कृत शिक्षा,कला साहित्य,संस्कृति तथा ए.एस.आई राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को उनके पत्र के क्रम में अनुमोदन किया जाता है।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
14. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
15. मैनेजर, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर